Neglect Hurts More Than Hunger
When Home is Not Safe:
Child Neglect and Domestic Violence

उपेक्षा भूख से भी ज्यादा दर्द देती है
जब घर सुरक्षित न हो:
बाल उपेक्षा और घरेलू हिंसा

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
राजस्थान उच्च न्यायालय
एवं
कार्यकारी अध्यक्ष
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा बच्चों के अधिकारों और जागरूकता अभियान से संबंधित विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। इन पुस्तिकाओं का उद्देश्य बाल अधिकारों, सुरक्षा, संरक्षण तथा विधिक सहायता के विषय में सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि बच्चे स्वयं को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो सकें।

आज के तीव्र परिवर्तनशील सामाजिक और डिजिटल परिवेश में यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के साथ—साथ ऐसी बुनियादी जानकारी भी दी जाए जो उन्हें सजग, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करे। जागरूकता ही सुरक्षा का प्रथम और सबसे सशक्त आधार है। जब बच्चे अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्रों के बारे में जानते हैं, तो वे भय या संकोच के बिना सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

यह पुस्तिकाएँ बाल—केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरल और सहज भाषा में तैयार की गई हैं। इनमें बच्चों की सुरक्षा, उचित आचरण, डिजिटल सावधानियाँ, कानूनी संरक्षण तथा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उद्देश्य यह है कि जानकारी केवल पढ़ी ही न जाए, बल्कि समझी भी जाए और आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार में लाई जा सके।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सदैव बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह प्रकाशन उसी सतत प्रयास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो विधिक साक्षरता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण के निर्माण की दिशा में समर्पित है।

मैं इस श्रृंखला की तैयारी में जुड़े सभी अधिकारियों और सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिकाएँ बच्चों के साथ—साथ अभिभावकों, शिक्षकों और संरक्षकों के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होंगी। आशा है कि यह पहल राज्य भर में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनके लिए सुरक्षित, संवेदनशील और समर्थ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा)

हरि ओम अत्री

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

बच्चे एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला हैं, और उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पुस्तिका विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और विधिक संरक्षण के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है। आयु–उपयुक्त और आश्वस्तकारी ढंग से बच्चों को संवेदनशील बनाना उन्हें आत्मविश्वास, गरिमा और विधि द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों के प्रति स्पष्ट समझ के साथ आगे बढ़ने में सहायक होता है।

इस पुस्तिका को सावधानीपूर्वक इस प्रकार रूपांकित किया गया है कि आवश्यक विधिक अवधारणाओं को सरल, सुगम और बाल–मैत्रीपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे बाल–पाठक इसकी विषयवस्तु से सहज रूप से जुड़ सकें। बच्चों के हितों को प्रभावित करने वाले विषयों से उन्हें परिचित कराते हुए यह प्रकाशन सजगता, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सहायता तंत्र का समय पर उपयोग करने की प्रेरणा देता है।

यह पुस्तिका माननीय न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में तैयार की गई है, जिनकी दूरदृष्टि विधिक जागरूकता और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करने, विशेषतः बच्चों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए, निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रही है।

तत्पश्चात् इस सामग्री को सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप प्रदान करने में सुश्री अनुभूति मिश्रा, उप सचिव, सुश्री कोमल मोटियार, उप सचिव तथा सुश्री रश्मि नवल, उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके सूक्ष्म परिश्रम, उत्कृष्ट समन्वय और संस्थागत प्रतिबद्धता विशेष प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं इस पहल से जुड़े सभी अधिकारियों एवं सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान में सेवारत सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके सतत् समर्पण, निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ सेवा के कारण ही ऐसी जनोन्मुखी पहलें साकार रूप लेती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके सामूहिक प्रयासों से यह पुस्तिका बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं संरक्षकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी और उन्हें अधिक सुरक्षित एवं जागरूक भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगी।

(हरि ओम अत्री)

Introduction

Imagine coming home from school, hungry but no one feeds you anything or no one bothers to pick/drop you to school or pay your fees on a regular basis out of sheer neglect. Your parents are constantly busy in their lives either arguing loudly or glued to their smart phones while you sit quietly in the corner, hoping someone remembers you need dinner. In another scenario, one parent constantly speaks badly about the other, forcing you to take sides whenever need be, making you feel like you are being torn between them like a rope in a tug-of-war. These are signs of child neglect; when those who are supposed to take care of you, fail to meet your basic needs for food, love, safety, and attention.

India's laws like the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Juvenile Justice Act (JJ Act), and POCSO Act protect children from constant neglect. These laws also focuses on providing and ensuring safety, counselling, and family support, not just punishment.

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, and the Juvenile Justice Act, 2015 protect, not only the person being beaten, but also children who live inside violent homes.

RSLSA (Rajasthan State Legal Services Authority) and DLSA (District Legal Services Authority) provide free legal and counselling help across Rajasthan. This chapter explains the Dangers of Child Neglect, its identification and what steps to take when encountered with the same and how to remain safe and strong both physically and emotionally.

परिचय

कल्पना करो कि आप स्कूल से घर लौटते हो और आपको भूख लगी होती है, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। माँ-बाप आपस में तेज़ आवाज़ में झगड़ रहे होते हैं और आप चुपचाप कोने में बैठ जाते हो, यह सोचते हुए कि शायद किसी को याद आ जाए कि आपको भी खाना चाहिए या फिर एक माता-पिता दूसरे माता-पिता के बारे में लगातार बुरा बोलते रहते हैं, जिससे आप दोनों के बीच ऐसे फँस जाते हो जैसे रस्साकशी में रस्सी का बीच वाला हिस्सा। ये सब बाल उपेक्षा (Child Neglect) के संकेत हैं जब जिन लोगों को आपकी देखभाल करनी चाहिए, वे आपकी मूल ज़रूरतें जैसे खाना, प्यार, सुरक्षा और ध्यान पूरा नहीं करते।

भारत के कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) बच्चों को उपेक्षा से बचाते हैं। जब बच्चे ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं, तो कानून केवल सजा पर नहीं, बल्कि सुरक्षा, परामर्श (काउंसलिंग) और परिवार को सहायता देने पर ज्यादा ध्यान देता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) सिर्फ उस व्यक्ति की ही नहीं, जिसे मारा जा रहा है, बल्कि उन बच्चों की भी रक्षा करते हैं जो ऐसे हिंसक घरों में रहते हैं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) पूरे राजस्थान में बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराते हैं। यह अध्याय बाल उपेक्षा (Child Neglect) के खतरों, उसकी पहचान, और ऐसी स्थिति का सामना करने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताता है। साथ ही, यह यह भी सिखाता है कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और मजबूत कैसे रहें।

Child Neglect

What do you mean by Child Neglect?

Children need care, love, protection, food, education, and emotional support to grow properly. When these basic needs are not fulfilled by parents, guardians, or caretakers, it is called child neglect. Child neglect can be serious form of child abuse, even though it may not always involve physical violence.

➢ **How does Child Neglect affect Children?**

- **Physical Effects**
  - Weak growth and poor health.
  - Malnutrition and frequent illness.
  - Mental and Emotional Effects.
  - Low self-confidence.
  - Fear, anxiety, and depression.
  - Feeling unloved and insecure.

- **Effects on Child's studies**
  - Poor school performance.
  - Dropping out of school.
  - Difficulty in making friends
  - Difficulty trusting others.
  - Risk of falling under bad influence, crime, or substance abuse.

बाल उपेक्षा

बाल उपेक्षा से क्या मतलब है?

बच्चों को सही तरीके से बढ़ने के लिए देखभाल, प्यार, सुरक्षा, भोजन, शिक्षा और भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है। जब माता-पिता, अभिभावक या देखभाल करने वाले लोग आपकी ये मूल ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तो इसे बाल उपेक्षा कहा जाता है। बाल उपेक्षा बाल दुर्व्यवहार (Child Abuse) का एक गंभीर रूप है, भले ही इसमें हर बार शारीरिक हिंसा न हो।

➢ बाल उपेक्षा बच्चों को कैसे प्रभावित करती है?

- **शारीरिक प्रभाव (Physical Effects)**
  - कमजोर विकास और खराब स्वास्थ्य
  - कुपोषण और बार-बार बीमार होना
  - मानसिक और भावनात्मक प्रभाव
  - कम आत्मविश्वास
  - डर, घबराहट और अवसाद
  - खुद को बिना प्यार के और असुरक्षित महसूस करना

- **शिक्षा पर प्रभाव (Educational Effects)**
  - स्कूल में खराब प्रदर्शन
  - स्कूल छोड़ देना
  - दोस्त बनाने में कठिनाई होना
  - दूसरों पर भरोसा करने में परेशानी होना
  - गलत संगति, अपराध या नशे की आदतों की ओर झुकाव का खतरा बढ़ जाना

Forms of Child Neglect:

1. Parental Alienation

➢ **What is Parental Alienation?**

Parental alienation happens when one parent turns you against the other parent through lies, bad words, or manipulation. Prohibiting any form of communication like phone calls, visits, or messages from the other parent. Emotionally manipulating the younger one to make him feel guilty for loving or caring about the other parent is also one of its form.

- **Wh at are common forms of alienation:**
  - One parent calls the other "bad" or "dangerous" constantly in front of you
  - They hide your school reports, photos, or gifts from the other parent
  - They make you lie about family problems or injuries
  - They threaten to stop loving you if you speak to the other parent
  - They cancel visits or meetings at the last minute repeatedly

- **What the Law Says About Parental Alienation?**
  - JJ Act Section 2(14) defines neglected child and mandates protection. Neglected child is treated as "Child in need of care and protection." Courts can order counselling for parents, ensuring both get fair access.
  - Guardians and Wards Act Section 25 prioritizes child's welfare in custody disputes.

बाल उपेक्षा के प्रकार:

1. माता-पिता द्वारा दूर करना (Parental Alienation)

➢ **Parental Alienation क्या है?**

जब माता या पिता में से कोई एक आपको दूसरे के खिलाफ झूठ बोलकर या गलत बात बोलकर या बातों में फंसाकर भड़काने की कोशिश करता है, तो इसे 'पैरेंटल एलियनेशन' (Parental Alienation) कहते हैं। वे माता या पिता में से कोई एक dks फोन करने, मिलने-जुलने या मैसेज करने से रोकते हैं। छोटे बच्चे को अपनी बातों में इस तरह उलझाना कि वह अपने दूसरे पेरेंट (मम्मी या पापा) को प्यार करने या उनकी फिक्र करने पर खुद को दोषी या गुनहगार (guilty) समझने लगे, यह भी इसका एक रूप है।

- **Parental Alienation के सामान्य रूप**
  - जब मम्मी या पापा में से कोई एक, आपके सामने दूसरे को लगातार "बुरा" या "खतरनाक" कहे।
  - जब आपके स्कूल की रिपोर्ट, फोटो या दूसरे पेरेंट की तरफ से दिए गए तोहफों को आपसे छुपाया जाए।
  - जब आपको घर की समस्याओं या किसी चोट के बारे में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाए।
  - जब आपको डराया जाए कि अगर आपने दूसरे पेरेंट से बात की, तो वे आपको प्यार करना बंद कर देंगे।
  - जब दूसरे पेरेंट से आपकी मुलाकात या बातचीत को आखिरी समय पर बार-बार जानबूझकर रुकवा दिया जाए।
- **Parental Alienation के बारे में कानून क्या कहता है?**
  - धारा 2(14), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (JJ Act): उपेक्षित बच्चे की परिभाषा देता है और सुरक्षा अनिवार्य करता है। ऐसे बच्चे को “देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा” माना जाता है। न्यायालय माता-पिता के लिए काउंसलिंग के आदेश दे ldrs है और दोनों को बच्चे से मिलने का उचित अवसर दिला ldrs है।
  - धारा 25, अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम (Guardians and Wards Act): संरक्षकता (custody) विवाद में बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानता है।

2. Malnutrition / Food Deprivation:

➢ What is Malnutrition and Food Deprivation?

Malnutrition happens when someone doesn't get enough healthy food and nutrition thereby causing weakness, poor growth, and frequent sickness. Parents might skip meals to save money, out of laziness or paucity of time. They might be ordering street food on a regular basis instead of preparing a balanced diet, or prohibit access to food in the garb of teaching a lesson.

- **What are Signs of food neglect?**
  - You feel hungry all day with no lunchbox for school.
  - Your clothes become too loose because you're losing weight.
  - Teachers notice you sleeping in class from weakness.
  - You get stomach pains, hair loss, or skin problems.
  - Friends stop sharing food because your parents never send extra food.

- **What the Law Says About Malnutrition?**
  - JJ Act Section 75 punishes neglect causing unnecessary suffering (up to 3 years jail + fine).

Domestic Violence Exposure

➢ What do you mean by Domestic Violence Exposure?

Domestic violence means violence inside the family—shouting, hitting, threats, controlling actions, or insulting someone again and again along with physical or verbal assaults.

2. कुपोषण / भोजन से वंचित रखना

➢ कुपोषण और भोजन से वंचित रखना क्या है ?

कुपोषण तब होता है जब किसी को पर्याप्त सेहतमंद खाना और पोषण नहीं मिलता, इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आती है, लंबाई और वजन ठीक से नहीं बढ़ता और बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है। माता-पिता पैसे बचाने के लिए, आलस में या समय की कमी की वजह से कभी-कभी बच्चों को खाना नहीं देते। वे घर पर बना सही और पौष्टिक खाना खिलाने के बजाय, रोज़-रोज़ बाहर का तला-भुना खाना (Street Food) खिलाते हैं। बच्चे को कोई बात सिखाने या सबक सिखाने के नाम पर उसे खाना खाने से रोकते हैं।

- **भोजन संबंधी उपेक्षा के संकेत (Signs of Food Neglect)**
  - आप पूरे दिन भूखे रहते हो और स्कूल के लिए टिफिन नहीं होता
  - आपके कपड़े ढीले होने लगते हैं क्योंकि वजन घट रहा होता है
  - टीचर देखते हैं कि आप कमजोरी के कारण क्लास में सोते रहते हो
  - पेट दर्द, बाल झड़ना या त्वचा की समस्या होने लगती है
  - दोस्त खाना शेयर करना बंद कर देते हैं क्योंकि घर से कभी "एक्स्ट्रा" खाना नहीं आता
- **भोजन की उपेक्षा पर कानून क्या कहता है ?**
  - जेजे एक्ट (JJ Act) की धारा 75 उन लोगों को सजा देती है जो बच्चों की देखभाल में लापरवाही करते हैं और उन्हें बेवजह तकलीफ पहुँचाते हैं। इसके तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

घरेलू हिंसा का संपर्क

➢ घरेलू हिंसा का बच्चों पर प्रभाव से क्या मतलब है ?

घरेलू हिंसा का मतलब है परिवार के अंदर हिंसा होना, जैसे लगातार चिल्लाना, मारना-पिटना, धमकी देना, नियंत्रण करना या बार-बार किसी को शारीरिक या मौखिक रुप से अपमानित करना।

- **How are Children exposed to Domestic Violence?**

Children may be exposed to domestic violence in many ways, such as:

  - Seeing parents or elders fighting physically.
  - Hearing loud arguments, threats, or crying.
  - Seeing injuries on a parent.
  - Living in constant fear at home.
  - Being used as a tool to threaten the other parent.

➢ How Domestic Violence Affects Children and Families?

- **What it does to children?**
  - Children starts feeling scared, confused, and unsafe even in their own home.
  - Children getting headaches, stomach aches, or troubled sleeping.
  - Children may struggle to focus in class; marks starts falling gradually.
  - Children start exhibiting anger at everyone or suddenly become very quiet and lonely.
  - Some may learn from the actions, start copying from the constant shouting and hitting exposure and may do the same with siblings or friends.

- **What it does to families?**
  - Home stops feeling like a safe place with eerie feelings amongst its residents.
  - Younger children either cry or hide; older ones try to "fix" fights.
  - One parent may become very sad, silent, or injured.

- **बच्चे घरेलू हिंसा के संपर्क में कैसे आते हैं?**

बच्चे घरेलू हिंसा को कई तरीकों से महसूस करते हैं, जैसे:

- माता-पिता या घर के बड़े लोगों को शारीरिक रूप से लड़ते हुए देखना
- जोर-जोर से बहस, धमकी या रोने की आवाजें सुनना
- माता या पिता के शरीर पर चोट के निशान देखना
- घर में लगातार डर के माहौल में रहना
- माता या पिता में से किसी एक के द्वारा बच्चे को "हथियार" की तरह दूसरे को डराने के लिए इस्तेमाल करना

➢ घरेलू हिंसा बच्चों और परिवारों को कैसे प्रभावित करती है?

- **बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है?**
  - आपको अपने ही घर में डर, उलझन और असुरक्षा महसूस होती है
  - सिरदर्द, पेट दर्द या नींद न आने की समस्या होने लगती है
  - पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और नंबर गिरने लगते हैं
  - आप हर किसी पर गुस्सा करने लगते हो या बहुत चुप और अकेले रहने लगते हो
  - कुछ बच्चे यह सब सीखने लगते हैं। लगातार चिल्लाना व लड़ाई देखकर अपने भाई-बहनों या दोस्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं।

- **परिवार पर इसका क्या असर पड़ता है?**
  - घर सुरक्षित जगह नहीं लगता, हर कोई डरकर रहता है
  - छोटे बच्चे रोते हैं या छिप जाते हैं, बड़े बच्चे झगड़ा "सुलझाने" की कोशिश करते हैं
  - माता या पिता बहुत दुखी, चुप या घायल हो सकता है

- Relatives stop visiting; festivals and birthdays lose happiness.

Domestic violence exposure is never the child's fault. Adults are responsible for their actions.

➢ What are the Types of Domestic Violence that Children Observe?

Children may see many kinds of violence at home amongst adults, here are a few examples:

- **Physical violence:** Slapping, hitting, pushing, choking, throwing objects etc.
- **Emotional violence:** Insults, threats, constant blaming and humiliation.
- **Economic control:** Stopping the supply of money, stopping one parent from working and earning his/her livelihood.
- **Social isolation:** Stopping one parent from meeting friends, family or even going out of the house.

➢ What could be the Warning Signs and How to Stay Safe?

- **What are the Warning signs at home?**
  - Fights happen almost every day, not just sometimes.
  - One parent is always afraid, apologizing, or crying.
  - You constantly see bruises, cuts etc.
  - You are being told "Don't tell anyone what happens at home".

- **How children can stay safer during fights**
  - Go to the safest room you can (a room with a door, away

- रिश्तेदार आना-जाना बंद कर देते हैं, त्योहार और जन्मदिनों की खुशी खत्म हो जाती है

घरेलू हिंसा का बच्चों पर प्रभाव में कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती। गलती हमेशा उन बड़ों की होती है जो हिंसा करते हैं।

➢ घरेलू हिंसा के कौन-कौन से रूप हैं?

बच्चे घर में बड़ों के बीच कई प्रकार की हिंसा देख सकते हैं, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- **शारीरिक हिंसा:** थप्पड़ मारना, घूंसा मारना, धक्का देना, गला दबाना, चीजें फेंकना, आदि।
- **मानसिक/भावनात्मक हिंसा:** शर्मिंदा करना, धमकी देना, लगातार दोष देना और अपमान करना
- **आर्थिक नियंत्रण:** आर्थिक सहायता रोक देना, माता या पिता में से किसी एक को कम करने से रोकना।
- **सामाजिक अलगाव:** माता या पिता को दोस्तों या परिवार से मिलने से रोकना या घर से बाहर जाने से रोकना।

➢ चेतावनी संकेत क्या हैं और सुरक्षित कैसे रहो?

- **घर में घरेलू हिंसा के चेतावनी संकेत क्या है?**
  - झगड़े लगभग हर दिन होते हैं, कभी-कभी नहीं
  - माता-पिता हमेशा डरे रहते हैं, बार-बार माफी मांगते हैं या रोते रहते हैं
  - बार-बार चोट के निशान, कट, पट्टी या दवाइयाँ दिखती रहती हैं
  - आपको कहा जाता है: "घर में क्या होता है, किसी को मत बताना।"
- **झगड़े के दौरान बच्चे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?**
  - किसी सुरक्षित कमरे में चले जाओ (जहाँ दरवाजा हो और रसोई/तेज चीजों से दूर रहो)
  - अगर हो सके तो बाहर निकलने के रास्ते (exit) के पास रहो, कोनों में फँसकर

from kitchen and sharp objects)

- Stay near an exit if possible, not trapped in corners.
- Keep younger siblings with you if you can do so safely.
- Avoid standing between adults who are fighting.
- Have a code word with a trusted adult/teacher to show you need help.

Very important: Your job is not to stop the fight. Your job is to stay safe and get help if possible , that too after securing your own safety first.

➢ Is Domestic Violence a Crime?

Yes. Domestic violence is a serious crime. Following are few examples of Laws specifically devised to prohibit the act and punish the guilty.

- **Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005:**
  - Protects women living in a domestic relationship and indirectly protect children living in such household.
  - Courts can pass Protection Orders to stop the abuser from entering the home, school, or workplace.
  - Courts can order compensation for mental and physical harm, and give temporary custody of children to the safer parent.

- **BNS Sections 85 & 86:**
  - Punish cruelty and grievous hurt by husband or relatives with jail and fine.

- **JJ Act, 2015:**
  - Treats children living in violent homes as children in need of

मत रहो

- यदि सुरक्षित रूप से संभव हो, तो छोटे भाई-बहनों को अपने साथ रखें
- झगड़ते हुए बड़ों के बीच में खड़े मत रहो
- किसी भरोसेमंद बड़े/टीचर के साथ एक कोड वर्ड तय कर लो, ताकि जरूरत पर तुरंत मदद मिल सके

बहुत जरूरी बात: आपका काम झगड़ा रोकना नहीं है, यदि संभव हो तो आपका काम सुरक्षित रहना और मदद लेना है, वह भी सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद।

➢ क्या घरेलू हिंसा अपराध है?

हाँ, घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध है। निम्नलिखित कुछ ऐसे कानूनों के उदाहरण हैं जिन्हें विशेष रूप से इस कृत्य को रोकने और दोषियों को दंडित करने के लिए बनाया गया है:

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:**
    - यह घरेलू संबंध में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा करता है और ऐसे घर में रहने वाले बच्चों की भी रक्षा करता है।
    - न्यायालय सुरक्षा आदेश (Protection Order) दे सकता है, जिससे हिंसा करने वाले को घर, स्कूल या कार्यस्थल में आने से रोका जा सकता है।
    - न्यायालय मानसिक और शारीरिक नुकसान के लिए मुआवजा दिला सकता है और बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा (Temporary Custody) सुरक्षित माता या पिता को दे सकता है।
- **धारा 85 और 86, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)**
    - पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और गंभीर चोट के लिए जेल और जुर्माना हो सकता है।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act).**
    - हिंसक घर में रहने वाले बच्चों को "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता

care and protection and allows Child Welfare Committees to provide shelter, counselling, and safe custody orders.

➢ How Does RSLSA Protect Children from Child Neglect and Domestic Violence?

RSLSA at State level and DLSA at District level are the authorities in Rajasthan which are always ready to help the needy whenever situation demands. It may provide help in following ways:

- Help the non-violent parent file for Protection Orders so the abuser must stop violence and stay away from children's school and home.
- Arrange free lawyers to represent children and the safe parent in court.
- Help get custody and visitation orders so children meet violent parent only if it is safe, or not at all.
- Refer children to counsellors and psychologists to heal fear, anxiety, and sadness.
- Help placing children in safe shelter homes if both parents are violent or unable to protect them.
- Work with police and Childline 1098 to respond quickly when a child calls from a violent home.
- Coordinating with Child Welfare Committees

➢ How Children Can Get Help?

If you are seeing or hearing violence at home you may use the following tips:

- **Talk to a trusted adult.**

  Tell your teacher, school counsellor, neighbour aunty, or a relative, "There is lot of fighting at home or I feel scared when

वाला बच्चा" माना जा सकता है और बाल कल्याण समितियों को आश्रय, परामर्श और सुरक्षित हिरासत के आदेश प्रदान करता है।

➢ RSLSA बच्चों को घरेलू हिंसा एवं बाल उपेक्षा से कैसे सुरक्षित करता है?

राजस्थान में राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। वे निम्नलिखित तरीकों से सहायता प्रदान कर सकते हैं:

- सुरक्षित माता या पिता के लिए सुरक्षा आदेश (Protection Order) दिलाने में मदद करना, ताकि हिंसा करने वाला व्यक्ति हिंसा बंद करे और बच्चों के स्कूल/घर से दूर रहे
- निःशुल्क वकील उपलब्ध कराना, जो अदालत में बच्चे और सुरक्षित माता या पिता का पक्ष रखें
- बच्चों की कस्टडी और मिलने के आदेश दिलाना, ताकि बच्चा हिंसक माता या पिता से सिर्फ सुरक्षित होने पर ही मिल सके, अन्यथा नहीं।
- बच्चों को काउंसलर और मनोवैज्ञानिक से जोड़ना, ताकि डर, घबराहट और उदासी कम हो सके
- जब कोई बच्चा हिंसक घर से फोन करे तो, 1098 चाईल्डलाईन और पुलिस के साथ मिलकर तुरन्त कार्रवाई करना।
- बाल कल्याण समिति (CWC) के साथ समन्वय करना

➢ बच्चे मदद कैसे ले सकते हैं?

अगर आप घर में हिंसा देख रहे हो या सुन रहे हो, तो ये कदम उठाओ:

- **किसी भरोसेमंद बड़े O;fDr को बताओ**

 अपने टीचर, स्कूल काउंसलर, पड़ोस की आंटी या किसी रिश्तेदार से कहो: "घर में बहुत लड़ाई होती है।" "जब वो मारते हैं या चीजें फेंकते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता

they hit or throw things." Adults in turn then can contact Childline, RSLSA, or police for you.

- **Call 1098 Childline.**
  From any phone, at any time of the day, you can share your experience/ordeal with Childline by just stating your name, age, address etc. Childline in turn can send a team, inform police etc. to ensure timely intervention.

- **Use school as a safety place.**
  Tell a teacher you trust. They may call the parents separately, involve counsellors or take legal help if need be.

- **Accept help from counsellors and shelter homes if needed.**
  Staying temporarily in a shelter is not a punishment; it is a shield while adults and courts make your home safe.

➢ Warning Signs and Daily Safety Habits)

- **Build strong daily safety habits:**
  - Keep an emergency snack (nuts/biscuits) in your school bag
  - Remember the Childline helpline number: 1098
  - Tell a trusted teacher about any food or safety problem at home
  - Eat your full mid-day meal at school — it is your legal right
  - Pay attention to your weight and clothing size, and share any changes with elders
  - Do not leave school because of hunger — teachers can help immediately

है।" यह व्यक्ति तुम्हारे लिए 1098 चाइल्डलाइन, RSLSA या पुलिस से संपर्क कर सकता है।

- **1098 चाइल्डलाइन पर कॉल करो**

  दिन के किसी भी समय, किसी भी फोन से आप अपना नाम, उम्र, पता आदि बताकर चाइल्डलाइन को अपनी समस्या या परेशानी की जानकारी दे सकते हैं। चाइल्डलाइन इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टीम भेज सकती है, पुलिस को सूचित कर सकती है और समय पर सहायता सुनिश्चित कर सकती है।

- **स्कूल को सुरक्षित जगह की तरह इस्तेमाल करो**

  किसी भरोसेमंद टीचर को बताओ। वे माता-पिता से अलग-अलग बात कर सकते हैं। काउंसलर को जोड़ सकते हैं ज़रूरत पड़े तो कानूनी सहायता लें सकते हैं।

- **काउंसलिंग और आश्रय गृह की मदद स्वीकार करो**

  जरूरत पड़े तो आश्रय गृह में रहना कोई सज़ा नहीं है; यह एक सुरक्षा कवच है, जब तक बड़े लोग और न्यायालय आपके घर को सुरक्षित नहीं बना देते।

➢ **चेतावनी संकेत और दैनिक सुरक्षा आदतें**

- **मजबूत दैनिक सुरक्षा आदतें बनाओ:**
  - स्कूल बैग में इमरजेंसी स्नैक (नट्स/बिस्किट) रखो
  - मदद के लिए 1098 चाइल्डलाइन नंबर याद रखो
  - एक भरोसेमंद टीचर को घर की भोजन/सुरक्षा समस्या बताओ
  - स्कूल का मिड-डे मील पूरा खाओ, यह आपका कानूनी अधिकार है
  - अपना वजन/कपड़ों का साइज ध्यान से देखो और बदलाव बड़ों से साझा करो
  - भूख के कारण स्कूल छोड़ना मत, टीचर तुरंत मदद कर सकते हैं

Help is always round the corner

If you face neglect, parental alienation, or hunger, follow these tips:

- **Tell a trusted adult.** Choose teacher, school counselor, neighbour aunty, or relative who listens calmly. Explain hunger, missing meals, or parents fighting over you. Show them your empty lunchbox or torn uniform as proof.
- **Call 1098 Childline.** Free 24/7 helpline connects you to counsellors, food support, and family mediation. They send workers to check your home safety immediately.
- **Visit DLSA office.** With teacher or neighbour, approach District Legal Services Authority. Get free lawyers for court orders ensuring food, medical care, free and fair parent access.
- **Use school and government help in case of a younger sibling.** For infants and Children up to 6 years old, Anganwadi workers usually tracks child height and weight, report neglect cases and provides extra nutrition in malnourished cases.

Conclusion

Child neglect, parental alienation, and malnutrition robs childhood out of a child. **JJ Act and BNS** protect right to food, care, and both parents' love. **RSLSA, DLSA, and 1098 Childline,** RSLSA helpline 15100 provide counselling, nutrition support, and family mediation.

मदद हमेशा आपके पास ही उपलब्ध होती है

अगर आप उपेक्षा, parental alienation या भूख का सामना कर रहे हो, तो ये कदम अपनाओ:

- **किसी भरोसेमंद बड़े को बताओ :** टीचर, स्कूल काउंसलर, पड़ोस की आंटी या कोई ऐसा रिश्तेदार चुनो जो शांति से सुनता हो, उन्हें बताओ कि खाना नहीं मिल रहा, भोजन छूट रहा है या माता-पिता तुम्हारे कारण लड़ रहे हैं। सबूत के लिए खाली टिफिन या फटी यूनिफॉर्म दिखाओ।
- **1098 चाइल्डलाइन पर कॉल करो :** यह 24/7 निःशुल्क हेल्पलाइन है, जो आपको काउंसलर, भोजन सहायता और परिवार-समाधान (mediation) से जोड़ती है। वे तुरंत घर की सुरक्षा जांचने के लिए कर्मचारी भेजते हैं।
- **DLSA कार्यालय जाओ :** टीचर या पड़ोसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) जाओ। यहाँ आपको निःशुल्क वकील मिलेंगे जो भोजन, मेडिकल देखभाल और माता-पिता दोनों से निष्पक्ष संपर्क के लिए कोर्ट आदेश दिला सकते हैं।
- **यदि छोटा भाई या बहन हो तो स्कूल और सरकारी सहायता का उपयोग करें :** शिशुओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः बच्चों की लंबाई और वजन की निगरानी करती हैं, उपेक्षा के मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देती हैं और कुपोषण की स्थिति में अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराती हैं।

निष्कर्ष

बाल उपेक्षा, parental alienation और कुपोषण, बच्चे से उसका बचपन छीन लेते हैं। किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता बच्चों के भोजन, देखभाल और माता-पिता दोनों के स्नेह के अधिकार की रक्षा करते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, 1098 चाइल्डलाइन और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन 15100 के द्वारा परामर्श, पोषण सहायता और पारिवारिक मध्यस्थता जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

Notes

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Rajasthan High Court Campus, Jaipur Bench
Vidhik Seva Sadan, Vidhik Seva Marg, C-Scheme, Jaipur
Phone No. : 0141-2227481, FAX: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900
Email: rslsajp@gmail.com, website: http://rajasthan.nalsa.gov.in